रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062024-255009
CG-DL-E-28062024-255009

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2024/आषाढ 7, 1946
No. 332] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2024/ASHADHA 7, 1946

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2024

सा.का.नि. 355(अ).— केन्द्रीय सरकार दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 56 की उप धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और संख्या सा.का.नि. 505 (अ) तारीख 15 मई, 2015 *द्वारा* प्रकाशित भर्ती नियमों का अधिक्रमण करते हुए, जहां तक वे दिल्ली विकास प्राधिकरण में आयुक्त (योजना) के पद से संबंधित हैं, उन बातो के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतदद्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण में आयुक्त (योजना) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, आयुक्त (योजना), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर, उक्त नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले, उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. पद पर नियुक्ति की मंजूरी - इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

5. निरर्हताएं.- ऐसा कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अधीन ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के तहत कार्रवाई में छूट दे सकती है।

6. शिथिल देने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई भी बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों को प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आयुक्त (योजना)	01* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 14 (144200 रु. – 218200 रु.)	चयन	पचास वर्ष से अधिक आयु न हो। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवक के लिए पांच वर्ष तक छूट दी जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल

					और स्पीति जिला और चंबा जिले का पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामले में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योजना या वास्तुकला या सिविल या म्यूनसिपल इंजिनियरिंग में स्नातक डिग्री या भूगोल या समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र में स्नात्तकोत्तर डिग्री; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से टाउन या शहर या शहरी या आवास या परिवहन या पर्यावरण योजना के किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ-साथ योजना में स्नातकोत्तर; और (iii) विकास प्राधिकरण या स्थानीय निकाय या किसी सरकारी उपक्रम में योजना कार्यालय में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौगोलिक सूचना प्रणाली या भू-सूचना विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा; और	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष। **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का इंडक्शन प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	प्रोन्नति द्वारा, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन और दोनों द्वारा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर, भारत की एसोसिएट सदस्यता।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करते समय जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स (123100-215900) में स्तर-13 के अन्तर्गत ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ अपर आयुक्त (योजना) में से, और ऐसा न होने पर, अपर आयुक्त (योजना) के रूप में आठ वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा की हो और दिल्ली विकास प्राधिकरण में वेतन मैट्रिक्स (78800-209200) में स्तर-12 में निदेशक (योजना) हो। **टिप्पण:** जहां उन कनिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहाँ उनके ज्येष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा, परन्तु उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा आधी से अधिक से कम या दो वर्ष से कम ना हो, जो भी न्यून है, तथा जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत निकाय या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान के अधिकारी। क. (i) जो मूल विभाग या संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों।	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-** 1. सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. अपर सचिव, (दिल्ली प्रभाग), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय - सदस्य; 3. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण - सदस्य; 4. तकनीकी सदस्य - उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण-सदस्य द्वारा नामित किया जाएगा। **समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-** 1. सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. अपर सचिव, (दिल्ली प्रभाग), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय - सदस्य; 3. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण - सदस्य; 4. तकनीकी सदस्य - उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण-सदस्य द्वारा नामित किया जाएगा।	लागू नहीं होता।

या (ii) वेतन मैट्रिक्स (123100-215900) में स्तर-13 या मूल कैडर या विभाग में समकक्ष पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में तीन साल की सेवा के साथ ; और ख) कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. के.-11011/22/2019-डीडी-II]

सुरेंद्रकुमार बागड़े, अपर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2024

G.S.R. 355(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) and in supersession of the Recruitment Regulations published vide number G.S.R. 505 (E), dated the 15th May, 2015 in so far as they relate to the post of Commissioner (Planning) in Delhi Development Authority, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Commissioner (Planning) in the Delhi Development Authority, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Delhi Development Authority, Commissioner (Planning), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Approval of appointment to the post.- No appointment shall be made without obtaining prior approval of the Central Government under these rules.

5. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Commissioner (Planning).	01* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-Ministerial.	Level- 14 in the pay matrix (Rs.144200 - 218200).	Selection.	Not exceeding fifty years of age. (Relaxable for the Government servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelor Degree in Planning or Architecture or Civil or Municipal Engineering or Master Degree in Geography or Sociology or Economics from a recognised University or institute; (ii) Post Graduation in Planning with specialisation in any of the field of town or city or urban or housing or transport or environmental planning from a recognised University or institute; and (iii) at least fifteen years experience in a planning office in Development authority or local body or in a Government undertaking. **Desirable:** (i) Degree or Diploma in Geographic Information System or Geo-informatics from a recognised University or institute; and (ii) Associate Membership of the Institute of Town Planner, India.	Not applicable	One year for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By promotion, failing which by deputation/ absorption and failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By promotion: From amongst Additional Commissioner (Planning) in level-13 in the pay matrix (123100-215900) with three years regular service in the	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs - Chairman;	Not applicable.

grade failing which, from Additional Commissioner (Planning) with eight years of combined regular service as Additional Commissioner (Planning) and Director (Planning) in level-12 in the pay matrix (78800-209200) in the Delhi Development Authority. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation/absorption:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or recognised University or recognised institute,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-13 in the pay matrix (123100-215900) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the	2. Additional Secretary, (Delhi Division), Ministry of Housing and Urban Affairs - Member; 3. Vice-Chairman, Delhi Development Authority - Member; 4. Technical Member - to be nominated by the Vice-Chairman, Delhi Development Authority -Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs -Chairman; 2. Additional Secretary, (Delhi Division), Ministry of Housing and Urban Affairs -Member; 3. Vice-Chairman, Delhi Development Authority - Member; 4. Technical Member- to be nominated by the Vice-Chairman, Delhi Development Authority - Member.	

direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. K-11011/22/2019-DDII]

SURENDRAKUMAR BAGDE, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA